राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 928 /जीएस.
दिनांक 17/7/ २००६

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००६/५३०३-४ दिनांक ६.६.२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग एण्ड साइंसेज,१६ कि.मी.स्टोन नेशनल एन.एच.२४,दिल्ली हापुड बाई पास रोड,गाजियाबाद को बी.टेक.के अन्तर्गत कम्प्यूटर सांइस एण्ड इंजीनियरिंग (१२० सीट) एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन इंजी०(६० सीट) मैकेनिकल इंजीनियरिंग(६० सीट) इनफारमेशन टेक्नोलाजी(६० सीट) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी०(१२० सीट) की प्रवेश क्षमता हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००६ से सत्र २००६-०७ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं निरीक्षण मण्डल/शासन द्वारा दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी दो माह में पूर्ण कर लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहें। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली
४. निदेशक एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग एण्ड साइंसेज,१६ कि.मी.स्टोन नेशनल एन.एच.२४,दिल्ली हापुड बाई पास रोड,गाजियाबाद

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 3107 /जी.एस.
दिनांक 01|3| २००७

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००६/७८०२-०३, दिनांक १५.७.२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंसेज, गाजियाबाद को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में ६० सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक १.७.२००६ से सत्र २००६-०७ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं निरीक्षण मण्डल/शासन द्वारा दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी दो माह में पूर्ण कर लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहें। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
५. प्राविधिक विश्वविद्यालय आगामी वर्ष अर्थात् २००७-०८ की सम्बद्धता विस्तारण की न तो संस्तुति करेगा और न ही इस संस्था को तब तक प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित करेगा जब तक संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण न हो जाये।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनुसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर ।
३. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली।
४. निदेशक, एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग साइंसेज, नेशनल एन.एच.-२४, विजय नगर, गाजियाबाद ।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनुसचिव